न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 121/2023

1. कमलेश पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी 2 बीआरडब्ल्युएम खाजूवाला

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट

निर्णय   दिनांक :–30.6.23

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट उपरान्त प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीया चक 2 बीआरडब्ल्युएम की निवासी है। प्रार्थीया की वर्तमान जमाबंदी में कमलेश पुत्र धनपतराम हो गया है जबकि प्रार्थीया कमलेश पत्नी धनपतराम है। प्रार्थीया का पुत्र की जगह पत्नी शब्द शुद्ध करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार उक्त वादगत रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में नामा0 सं0 88 में कमलेश पत्नी धनपतराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहः नोहर विशेष आवंटन के नाम से दर्ज हुआ था जबकि नामा0 सं0 198 खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से कमलेश पुत्र धनपतराम दर्ज हो गया था। अतः कमलेश पुत्र धनपतराम की जगह कमलेश पत्नी धनपतराम की शुद्धि की जानी उचित होगी।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 2 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 142/3 की 6.3225 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र धनपतराम की जगह कमलेश पत्नी धनपतराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 2 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 142/3 की 6.3225 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी का नाम कमलेश पुत्र धनपतराम की जगह कमलेश पत्नी धनपतराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)